क्षेत्रीय कार्यालय ✆ 0121-2571676

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

पाकेट TC-3/2, पल्लवपुरम, फेज-II, मोदीपुरम, मेरठ - 250 110

संदर्भ संख्या 4178/Noc-104/2011/4 दिनांक 4/3/11

सेवा में

मैं ~~एच०एन०एस० डेवपलर्स,~~ **वैधता अवधि दो वर्ष**

द्वारा पार्टनर श्री हर्ष वर्धन जैन,

खसरा सं0-304, ग्राम अब्दुल्लापुर,

जनपद - मेरठ ।

विषय : पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नई इकाई की स्थापना हेतु / ~~कार्यरत इकाई की उत्पादन क्षमता में विस्तार / संयंत्रों के नवीनीकरण हेतु~~ अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गमन ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक 01/03/11 का संदर्भ लें । आपके आवेदन पत्र पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हों कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तो एवं सामान्य शर्तो (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वीकृत की जाती है।

1— अनापति प्रमाण पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है:—

(क) स्थल : खसरा संख्या-304, ग्राम अब्दुल्लापुर, मेरठ ।

(ख) उत्पादन: आवासीय कोलोनी विकसित हेतु ।

(ग) मुख्य कच्चे माल : ईंट, रोड़ी, सीमेंट, सरिया (बिल्डिंग मैटेरियल), इस्पात आदि ।

(घ) प्रयुक्त ईंधन: डीजल-40 के0वी0ए0 के डी0जी0सेट हेतु आवश्यकतानुसार ।

(ङ) औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्रा शून्य ।

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा

2— उद्योग में सभी आवश्यक यन्त्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्था की स्थापना में की गई प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय मे प्रत्येक माह को दसवीं तारीख तक निरन्तर प्रेषित करें।

3— उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक की बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें । जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई में उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन को इकाई से उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुये इस कार्यालय मे अवश्य ही जमा कर दिया जाए । यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नही करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरुद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है ।

4– उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाये।

5– घरेलू उत्प्रवाह, जिस की मात्रा 80...कि0ली0 अधिक नही होगी, सेप्टिक टैंक एवं सेकपिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत कर निस्तारित किया जाये।

6– प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिए दिये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय में दिनांक ..31/3/11......तक अवश्य प्रस्तुत की जायें।

7– प्रस्तावित कालोनी से जनित घरेलू बहिश्राव को प्रस्तुत परियोजना, बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत कर निस्तारित किया जाये।

8– प्रस्तावित कालोनी में वर्षा जल के संचयन हेतु रेनवाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना की जाये।

9– प्रस्तावित कालोनी में स्थापित किये जा रहे 40 के0वी0ए0 के डी0जी0सेट पर ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु एकास्टिक एनक्लोजर एवं छत तल से 1.5 मी0 ऊँचा एग्जास्ट स्थापित किया जाये।

10– प्रस्तावित कालोनी के चारो तरफ पर्याप्त चौड़ाई की हरित पट्टिका विकसित की जाये।

11– नगरीय ठोस अपशिष्ट के एकत्रण/निस्तारण हेतु अधिनियमों के अंतर्गत वर्णितानुसार निस्तारण किया जाये।

12– पर्यावरण संरक्षण अधिनियम –1986 एवं समय–समय पर यथासंशोधित अधिनियमों का पालन किया जाये।

कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति प्रमाण–पत्र की शर्तों में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक ....तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाये। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाये अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दी जायेगी।

क्षेत्रीय अधिकारी

पृ0 सं0 तद्दिनांक

प्रतिलिपि :–

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (सर्किल-3) उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अंशुला माधव

क्षेत्रीय अधिकारी

B-82 फेस-1

पल्लवपुरम